बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि0,

"खाद्य भवन", दारोगा राय पथ, आर0ब्लॉक, रोड नं0 2, पटना 800001

कार्यालय आदेश

निगम के पत्रांक 362 दिनांक 12.01.18 द्वारा बिहार राज्य खाद्य निगम अन्तर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था। उक्त विज्ञापन के आलोक में विभिन्न पदों के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों पर स्थायी स्थापना समिति के अनुशंसा के आलोक में कॉलम 2 में अंकित अभ्यर्थियों का औपबंधिक रूप से संविदा पर नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख कॉलम 7 में अंकित पद हेतु अगले 11 माह के लिए नियुक्त किया जाता है। सभी संबंधित अभ्यर्थियों को निदेश है कि वे पी0पी0ओ0/अंतिम वेतन प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ दिनांक 16.5.18 तक योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। पूर्व में प्रस्तुत कागजातों में भिन्नता/त्रुटि पाये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

क्र0 सं0	चयनित अभ्यर्थी का नाम	सेवा नि0का पद	सेवा नि0 का कार्यालय	पुरूष/ महिला	कोटि	पदनाम जिसके विरूद्ध चयन किया गया है
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री रेहान हसन	वरीय लेखा लिपिक	जल संसाधन विभाग	पुरूष	अनारक्षित	लेखापाल
2	श्री विनोद कुमार	वरीय लेखापाल	महालेखाकार(ले0एवं ह0)पटना	पुरूष	अनारक्षित	लेखापाल

शर्तें–

1. अभ्यर्थियों की तत्काल औपबंधिक रुप से इस शर्त के साथ नियुक्ति की जाती है कि उनके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों की सम्पुष्टि क्रम में कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है अथवा कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी की सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कारवाई भी की जा सकेगी।
2. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 16.05.18 के पूर्वाहन तक निगम मुख्यालय में अपना योगदान समर्पित करेंगें। इसके लिए किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
3. सभी अभ्यर्थी द्वारा निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार एकरारनामा किया जायेगा।
4. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 10000 दिनांक 10.7.15 के आलोक में मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
5. उल्लिखित पद पर संविदा/अनुबंध के आधार पर नियोजन प्रथम चरण में ग्यारह माह के लिए होगी तथा आवश्यकतानुसार अवधि विस्तार किया जायेगा। कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं रहने अथवा क्षति/गबन पाये जाने पर इन्हें कोई बगैर कोई सूचना के कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।
6. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।
7. इनके द्वारा की गयी क्षति/गबन की राशि की वसूली उनके मानदेय से की जायेगी एवं मानदेय से वसूली संभव नहीं होने की स्थिति में बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।
8. अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति पुर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उसका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए किसी आदेश का निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
9. इनके द्वारा संविदा पर निगम की सेवा छोड़ने के पूर्व निगम को एक माह का अग्रिम सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में उन्हें निगम को एक माह का मानदेय एक मुश्त भुगतान करना होगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में वह राशि बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन वसूलनीय होगी।

प्रबंध निदेशक के आदेश से।

9/5.18

महाप्रबंधक,सामान्य प्रशासन

May-18

ज्ञापांक-3.02.77.01.18 4576 /पटना, दिनांक-9/5/18

प्रतिलिपि-सभी संबंधित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

9/5.18

महाप्रबंधक, सामान्य प्रशासन

ज्ञापांक-3.02.77.01.18 4576 /पटना, दिनांक-9/5/18

प्रतिलिपि-मुख्य महाप्रबंधक, अधिप्राप्ति/जन वितरण/मुख्य सर्तकता पदाधिकारी/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक/विपत्र लिपिक/प्रबंध निदेशक कोषांग, निगम मुख्यालय एवं सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/5/18

महाप्रबंधक, सामान्य प्रशासन

ज्ञापांक-3.02.77.01.18 4576 /पटना, दिनांक-9/5/18

प्रतिलिपि-अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

9/5.18

महाप्रबंधक, सामान्य प्रशासन

ज्ञापांक-3.02.77.01.18-4576 /पटना, दिनांक-9/5/18

प्रतिलिपि-प्रभारी नियंत्रण कक्ष, निगम मुख्यालय, पटना को निदेश है कि निगम के बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि सफल अभ्यर्थियों को सूचना प्राप्त हो सके।

9/5.18

महाप्रबंधक, सामान्य प्रशासन